तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/292/2002/जोधपुर** **सरकार बनाम पाबूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.10.2018	**एकल पीठ** **श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित–** श्री आर0पी0 शर्मा, राजकीय उप अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थी पक्ष उपस्थित नहीं **निर्णय** हस्तगत रेफरेन्स अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय), जोधपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 50/99 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 31–10–2001 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, फलौदी, जोधपुर ने धारा 82, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय), जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम गोदरली स्थित आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 1651–14 बीघा वक्त सैटलमैंट खतौनी बन्दोबस्त के खाता संख्या 149 में माता जी/ठाकुर जी की खातेदारी में दर्ज रही है और जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023 में रकबा 40 बीघा का आवंटन तहसीलदार, फलौदी द्वारा दिनांक 1–7–1972 को अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया है। नामांतरकरण संख्या 136 दिनांक 22–4–1975 अप्रार्थी के हक में स्वीकृत किया गया है। नामांतरकरण संख्या 136 दिनांक 22–4–1975 को खारिज करने और इसके पश्चातवर्ती नामांतरकरण संख्या 746 दिनांक 27–4–1997, 754 दिनांक 27–9–1997 को खारिज किये जाने व भूमि को पुनः मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु, प्रस्तुत किया। अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय), जोधपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 31–10–2001 के क्रम में हस्तगत रेफरेन्स मण्डल को अभिशंषित किया गया है। प्रार्थी पक्ष के योग्य राजकीय उप अभिभाषक की बहस सुनी। विद्वान राजकीय उप अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि मंदिर मूर्ति शाश्वत रुप से नाबालिग होती है और मंदिर मूर्ति की भूमि पर काश्त करने के आधार पर काश्त करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार के स्वत्व या अधिकार हासिल नहीं होते हैं। अतः धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत जाते	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/292/2002/जोधपुर** **सरकार बनाम पाबूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुये अप्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी के अंकन किये गये हैं। इस प्रकार की स्थिति में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय), जोधपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में है अतः प्रेषित किये गये रेफरेन्स को स्वीकार किया जाये। अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। हमने बहस पर मनन किया एवं अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय), जोधपुर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही एवं पत्रावली का अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार पाया जाता है कि मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 में प्रश्नगत विवदित भूमि कॉलम संख्या–4 उपभोक्ता में “मंदिर श्री माता जी” अंकित है। नामांतरकरण संख्या 136 दिनांक 22–4–1975 के द्वारा सिवाय चक भूमि में से 40 बीघा भूमि बाबूराम पुत्र खुशलाराम की गैर खातेदारी में, आवंटन कमैटी के आवंटन के आधार पर दर्ज की गई है। पत्रावली पर इस आशय की कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं रही है कि प्रश्नगत भूमि कब व किस आदेश के तहत “सिवाय चक” अंकित की गई, जब कि आवंटन सिवाय चक भूमि में से किया गया है। आवंटी के पक्ष में किस आदेश व नामांतरकरण से गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकृत की गई, इसका भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली के अध्ययन से सुस्पष्ट है कि नामांतरकरण संख्या 746 विक्रय के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 बंशीलाल व कंवरलाल के पक्ष में स्वीकृत किया गया है और नामांतरकरण संख्या 754 विक्रय के आधार पर अप्रार्थी संख्या–3 अब्दुल रहीम के पक्ष में खातेदारी का स्वीकृत किया गया है। अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय), जोधपुर द्वारा अप्रार्थीगण को सुनवाई किए बिना आक्षेपत कार्यवाही मण्डल को अनुशंषित की है, जब कि अप्रार्थी वर्तमान में खातेदार अभिलिखित होने से उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना नैसर्गिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक था। फलतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में पुनः परीक्षण उपरान्त कार्यवाही हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय), जोधपुर को वापिस भिजवाया जाना आवश्यक व उचित समझा जाता है। फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप रेफरेन्स निर्णित किया जा कर अपर अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, (द्वितीय), जोधपुर को वापिस लौटाया जा कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/292/2002/जोधपुर** **सरकार बनाम पाबूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिक स्थिति में परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उभय पक्ष को विधिवत सुनते हुये पुनः परीक्षण कराया जावे और बाद जॉच आवश्यकता होने पर, पूर्ण दस्तावेजात के साथ मण्डल को अनुशंषा करावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहनलाल नेहरा)** **सदस्य**	